i`slukV

fiFkkSjkx<+&05-09-13¼lrfo½]

प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय पिथौरागढ़ ने सूचित किया है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, राजकीय पालीटैक्निक पित्थूवाला परिसर देहरादून के द्वारा समूह–ग सम्मिलित भर्ती परीक्षा–2011, ग्रुप–28 हेतु कमल राम आर्य, ग्राम दातू, जौलजीबी खेड़ा, धारचूला, शशि कुमार साह जखोली रूद्रप्रयाग, महेश चन्द्र ग्राम तड़ीगांव, कविता ग्राम झनकट, उधमसिंह नगर, हरि शंकर टम्टा ग्राम ओडमाथा, नैनीसैनी तथा मनीषा बाजरीकोटी, चम्पावत को उपयुक्त पाया है, जिनके प्रमाण–पत्रों की जांच के उपरान्त नियुक्ति प्रदान की जानी है।

उन्होंने कहा है कि उक्त अभ्यर्थी 16 सितम्बर को कार्यालय दिवस में समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रो, अंकतालिकाओं की दो–दो प्रमाणित छायाप्रतियां तथा मूल प्रमाण–पत्रों के साथ दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत प्रमाण–पत्र, वैवाहिक स्थिति, जाति एवं स्थाई प्रमाण–पत्र, चल अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित होवें।

fiFkkSjkx<+&05-09-13¼lrfo½]

08 सितम्बर को उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम व द्वितीय को सम्पन्न कराने के लिए के.एन.यू.रा.इ.का. पिथौरागढ़, रा.बालिका इण्टर कालेज पिथौरागढ़, एल.डब्ल्यू.एस. कन्या इण्टर कालेज भाटकोट, मिशन इण्टर कालेज पिथौरागढ, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कालेज पिथौरागढ़ के साथ एस.डी.एस.इंटर कालेज पिथौरागढ़ (नोडल केंद्र) परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है।

उक्त जानकारी देते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ नरेश दुर्गापाल ने कहा है कि परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए परीक्षा के दिन परीक्षा की समाप्ति तक उक्त परीक्षा केंद्रों की परिधि के आसपास 100 गज की दूरी तक धारा–144 द.प्र.सं. के प्राविधान लागू रहेंगे।

उन्होंने कहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के 100 गज की परिधि में परीक्षार्थियों, परीक्षा हेतु ड्यूटीरत अध्यापकों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों एवं संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रभारियों के अलावा परीक्षा अवधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा साथ ही कोई जुलूस नहीं निकाला जायेगा तथा कोई व्यक्ति किसी किस्म का शस्त्र, लाटी, डंडा आदि नहीं ले जायेगा। उन्होंने कहा है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भा.द.वि. की धारा–188 के अंतर्गत दंडनीय होंगे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।

i:l ukV

fiFkkSjkx<&05-09-13¼lfo½]

दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त पैरा मिलट्री फोर्सो के कैम्पों तथा उनके फायरिंग रैन्जों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तेजी से प्रयास किया जायेगा। उक्त बात आज जिला कार्यालय सभागार में पैरा मिलट्री फोर्सो के साथ सिविल प्रशासन से जुड़े मुद्‌दों पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने कही। उन्होंने कहा कि एसएसबी, आर्मी, आईटीबीपी, ग्रेफ आदि की उनकी मांग के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सिविल प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा, इसके लिए उन्होंने संबंधित धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट व पिथौरागढ़ के उप जिलाधिकारियों को अपनी ओर से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सैन्य और अर्द्ध सैनिक बलों से अपनी ओर से भी भूमि चयन में प्रयास करने को कहा।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को सेना, अर्द्धसैनिक बलों के कैम्पों के आसपास सिविल व प्राईवेट भूमि के प्रकरणों के निस्तारण में अपनी ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारी को सेना, अर्द्धसैनिक बलों के भूमि स्थानान्तरण संबंधी प्रकरणों पर अपनी ओर से तेजी के साथ पूर्ण प्रयास करने तथा इसी सप्ताह सेना, अर्द्धसैनिक बलों के साथ बैठक कर प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को ऐंचोली के पास स्थापित एसएसबी कैम्प तक निर्मित किये जा रहे मोटर मार्ग में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूरी पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

ग्रेफ ने ऐचोंली से जाजरदेवल तक हाटमिक्स करने हेतु चौड़ीकरण के दौरान आने वाली पेयजल लाईन, विद्युत व टेलीफोन पोलों को हटाने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को जनपद मुख्यालय के साथ ग्रेफ द्वारा अन्य स्थानों पर किये जा रहे चौड़ीकरण में आ रहे विद्युत पोलों को तेजी के साथ हटाने के निर्देश दिये। उन्होंने जल संस्थान को अपनी पेयजल लाइनों को रोड़ के बीच से हटाने तथा दूर संचार विभाग को टेलीफोन के पोलों को शिफ्ट करने के निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण में किसी भी तरह की आ रही परेशानी को दूर किया जायेगा। जिलाधिकारी ने चौड़ीकरण के दौरान प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्तायुक्त हाटमिक्स करने के निर्देश दिये।

सेना द्वारा कासनी आदि स्थानों पर सड़क पर पड़े गड्‌ढों पर डामरीकरण के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोनिवि पिथौरागढ़ को गडढ़ों को भरने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने आर्मी से आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों को आनेजाने वाले रास्तों को बंद न करने तथा ग्रामीणों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक करने का अनुरोध किया।

बैठक में जिलाधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी डा.आनन्द श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी बीएल राणा, उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी डीडीहाट बीएस फोनिया सहित आईटीबीपी के कमाण्डेन्ट, सेना, एसएसबी, ग्रेफ के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।